No. EDN-A-Ka(5)-5/2012
Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From

The Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

The Registrar,
Baddi University of Emerging Sciences and Technology,
VPO Makhnumajra(Baddi), Tehsil Nalagarh,
Distt. Solan, Himachal Pradesh.

Shimla-2, the 01 July, 2013.

Subject: Regarding Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013 (Act No. 33 of 2013).

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the Himachal Pradesh Government has made an amendment in the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

A copy of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013 (Act No. 33 of 2013) notified by the Government on 03.06.2013 & published in the Gazzette of H.P. on 05.06.2013 is enclosed for information & necessary action. Copy of this Act can also be downloaded from the Himachal Pradesh Government website i.e. http://admis.hp.nic.in /notific /Default2. aspx.

Yours faithfully,

Under Secretary (Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. as above Dated; Shimla-171002 July, 2013.

Copy is forwarded to the Secretary, H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission, Majitha House, Shimla-171002 for information & n.a.

Under Secretary (Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जून, 2013

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–6/2013–लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–05–2013 को अनुमोदित बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 33 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती है।

आदेश द्वारा,
चिराग भानू सिंह,
सचिव (विधि)।

2013 का अधिनियम संख्यांक 33

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 मई, 2013 को यथाअनुमोदित)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 16 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 41 का संशोधन.**—बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009, (2009 का 21) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT NO. 33 OF 2013

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2013

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

It is enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. **Amendment of section 41.**—In section 41 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009, (21 of 2009) in sub-section (2) in the proviso, for the words "twenty five years" the words "fifty years" shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 जून, 2013

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–17/2013–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–05–2013 को अनुमोदित दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 34 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती है ।

आदेश द्वारा,
चिराग भानू सिंह,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 34

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 मई, 2013 को यथाअनुमोदित)

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त का नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 17 जून, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From The Principal Secretary (Hr Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

The Registrar,
Baddi University of Emerging Sciences and Technology.
Distt. Solan. H.P.

Dated: Shimla-2, the 11th February, 2011.

Subject: **Regarding Baddi University of Emerging Sciences and Technology(Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010 (Act No. 21 of 2011).**

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the Baddi University of Emerging Sciences and Technology(Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010 (Act No. 21 of 2011) has been notified by the State Government(copy enclosed).

You are, therefore, requested to take necessary action accordingly and action taken report may be sent to this department immediately. Copy of this Act can also be downloaded from the Himachal Pradesh Government website i.e. http://admis.hp.nic.in/notific/Default2.aspx.

Yours faithfully,

Addl. Secretary(Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 7 मई, 2012 / 17 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 4 मई, 2012

संख्याःएल0एल0आर0–डी0(6)–10/2012–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3–5–2012 को अनुमोदित बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 13) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
(अवतार चन्द डोगरा),
प्रधान सचिव (विधि)।

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012

(माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 3 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.—बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में :—

(क) खण्ड (ढ) में "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद" शब्दों के पश्चात् "हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और

(ख) खण्ड "(फ़)" के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड "(ब)" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ब) "विनियामक आयोग" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।" ।

3. धारा 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ज़) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड (झ) और (ञ) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात् परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबन्धन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित, विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना; और

(ञ) सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित, विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना ।" ।

4. धारा 10 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 10 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा, किसी भी तरह, लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, संदत्त या अन्तरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक या उसके किसी

सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्भावपूर्वक संदाय से निवारित नहीं करेगी ।" ।

5. धारा 18 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) में "पांच" शब्द के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा ।

6. धारा 19 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा) ;

(ग) विख्यात शिक्षाविदों में से या प्रबन्धन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद् ;";

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड (ङ) और (च) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ; और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ।" ; और

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायत्तता सहित स्वतन्त्र होगा ।" ।

7. धारा 31 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, "और इसे" शब्दों के पश्चात् आए शब्दों "सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी" के स्थान पर "विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्यक्रमों के अनुमोदन सहित, प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे और उपधारा (1) के नीचे आए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 33 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 33 के परन्तुक में, "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

11. धारा 36 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.—विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।"।

12. धारा 38 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, "वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां" शब्दों के पश्चात् तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द रखे जाएंगे ।

13. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उपधारा (4) में, "तुलन-पत्र की प्रतियां," शब्दों और चिन्ह के पश्चात् तथा "सरकार" शब्द से पूर्व "विनियामक आयोग और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (5) में, "सरकार" शब्द जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर "विनियामक आयोग और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

14. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 में,—

(क) उपधारा (1) में, "सरकार" शब्द के पश्चात् "या विनियामक आयोग" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में, "सरकार," शब्द और चिन्ह के स्थान पर "यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और उपधारा (3) में, "तो" शब्द के पश्चात् "यथास्थिति, विनियामक आयोग या" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 15 of 2012

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 2012)

AN

ACT

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title.**—This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (n), for the words "Council of Scientific and Indian Research", the words and sign "Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission" shall be substituted.; and

(b) after clause (v), the following new clause (w) shall be inserted, namely:—

"(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011);".

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, after clause (h), the following new clauses (i) and (j) shall be inserted, namely:—

"(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions; and

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages."

4. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any person claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges."

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in clause(c), for the word "five", the word "three" shall be substituted.

6. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for clauses (b) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;";

(b) after clause (d) as so substituted, the following new clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:—

"(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member Secretary."; and

(c) after sub-section (5), the following new sub-section (6) shall be inserted, namely:—

"(6) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.".

7. **Amendment of section 31.**—In section 31 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "State Government", the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

8. **Amendment of section 32.**—In section 32 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "for its approval", the words and figures "before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission" shall be inserted and the first proviso appearing below sub-section (1) shall be omitted.

9. **Amendment of section 33.**—In section 33 of the principal Act, in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

10. **Amendment of section 34.**—In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission" shall be substituted.

11. **Substitution of section 36.**—For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"36. **Accreditation of the University.**—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.".

12. **Amendment of section 38.**—In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "presented to", the words "the Regulatory Commission and" shall be inserted.

13. **Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act,—

(a) in sub-section (4), after the words "presented to the", the words "Regulatory Commission and the" shall be inserted; and

(b) in sub-section (5), for the word "Government" wherever it occur, the words "Regulatory Commission and the Government" shall be substituted.

14. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "the Government", the words "or the Regulatory Commission" shall be inserted; and

(b) in sub-sections (2) and (3), after the words "the Government", the words and signs "or the Regulatory Commission, as the case may be,", shall be inserted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 4 मई, 2012

संख्याःएल0एल0आर0–डी0(6)–14/2012–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3-5-2012 को अनुमोदित शूलनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 19) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती है ।

आदेश द्वारा,
(अवतार चन्द डोगरा),
प्रधान सचिव (विधि)।

2012 का अधिनियम संख्यांक 18

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 3 मई, 2012 को अनुमोदित)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम.–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.–शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में ,–

(क) खण्ड (ढ) में, "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" शब्दों के पश्चात् "हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ; और

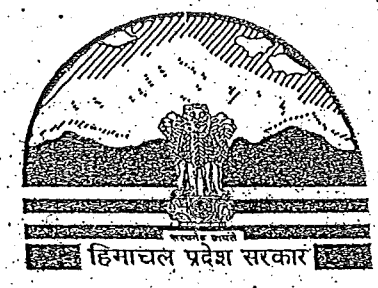

हिमाचल प्रदेश सरकार

This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 5 फरवरी, 2011 / 16 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–32 / 2010–लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31–01–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा
सचिव, विधि।

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–50 / 2010–लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31–1–2011 को अनुमोदित बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ ईमर्जिंग सांईसिज एण्ड टैक्नोलोजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 35) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती है।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 21

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी युनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.—बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सैंटर फॉर एडवांसड स्टडीज़ इन इन्जीनियरिंग (सी0 ए0 एस0 ई0), नई दिल्ली अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सोसाइटी की समनुषंगी शाखा है;" ।

3. धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में,–

(क) खण्ड (I) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

ACT

to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 2 for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

" (p) "sponsoring body" means the Centre for Advanced Studies in Engineering(CASE), New Delhi, registered under the Societies Registration Act, 1860 and includes its subsidiary branch of society to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (1) ,—

(a) in clause(i), the words "including the method of distant education" shall be omitted.;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

(c) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except from parents and students" shall be inserted.; and

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government,"

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students", shall be inserted.

5. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause (g) shall be omitted.

6. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

7. **Amendment of section 32.**—In section 32 of the principal Act, for the words "one month" wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

8. **Amendment of section 40.**—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

9. **Amendment of section 41.**—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0–डी (6)–46 / 2010–लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31–01–2011 को अनुमोदित ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 29) को वर्ष 2011 के अधीनियम 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती है।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 17

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

2. धारा 5 का संशोधन.—ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5 में,–